भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 71
21.06.2019 को उत्तर के लिए

पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र

71. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) को निर्धारित करने की प्रक्रिया वर्ष 2011 में शुरू हुई है और केन्द्र सरकार ने इसकी प्रथम प्रारूप अधिसूचना 2014 में जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या तब से उक्त अधिसूचना को कई बार नए सिरे से जारी किया गया है तथा चौथी अधिसूचना अभी हाल में संबंधित राज्यों को शामिल करते हुए जारी की गई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य की मुख्य मांगें क्या हैं;
(घ) क्या एक उच्चस्तरीय कार्य समूह भी इस संबंध में सर्वसम्मत निर्णय लेने में विफल रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में नए सिरे से प्रक्रिया शुरू कर दी है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) वर्ष 2010 में पश्चिमी घाट क्षेत्र पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्यूजीईईपी) के गठन होने और तत्पश्चात वर्ष 2012 में उच्च स्तरीय कार्यदल (एचएलडब्ल्यूजी) के गठन द्वारा पश्चिमी घाटों को संरक्षित और सुरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गोआ, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के राज्यों में 56,825 वर्ग किलोमीटर के पारिस्थितिकीय रूप से संवदेशनशील क्षेत्र (ईएसए) सहित दिनांक 10.02.2014 को का.आ. 733 (अ) *द्वारा* पहली प्रारूप अधिसूचना जारी की थी।

(ख) और (ग) जी हां, दिनांक 10.02.2014 की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 733 (अ) को तदुपरांत दिनांक 04.09.2015 को का.आ.2435 (अ); 27.02.2017 को का.आ. 667 (अ) और 03.10.2018 को का.आ.5135 (अ) *द्वारा* तीन बार पुनर्प्रकाशित किया गया था। सामान्यतः राज्यों से मांग, एचएलडब्ल्यूजी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार ईएसए में कमी करने/परिवर्तित करने के लिए की जाती है।

(घ) से (च) उच्च स्तरीय कार्यदल की सिफारिश के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 13.11.2013 के आदेश द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत निदेश जारी किए हैं और पांच कार्यकलापों, जिनका पश्चिमी घाट के पारि-संवेदनशील

क्षेत्रों की प्राकृतिक पारिप्रणालियों पर हस्तक्षेपीय और विध्वंसकारी प्रभाव हो, अर्थात् (i) खनन, उत्खनन और बालू खनन (ii) ताप विद्युत संयंत्रों (iii) 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र और उससे अधिक क्षेत्र में भवन और निर्माण की परियोजनाएं (iv) 50 हेक्टेयर और उससे अधिक और/अथवा 1,50,000 वर्ग मीटर और उससे अधिक में निर्मित क्षेत्र सहित उपनगर और क्षेत्र विकास परियोजनाएं तथा (v) उद्योगों की लाल श्रेणी को प्रतिबंधित किया है।

पश्चिमी घाट के पारिसंवेदशील क्षेत्र को अधिसूचित करने में एक सुसंगत और समनुरूप दृष्टिकोण अपनाने के लिए मंत्रालय गत कई वर्षों से कार्य कर रहा है, इसने 15 जनवरी, 2016; 9-11 फरवरी, 2016, 11 अगस्त 2016 और 11 अप्रैल 2018 को पश्चिमी घाट क्षेत्र स्थित सभी राज्यों के साथ विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किया था। नवीनतम प्रारूप अधिसूचना की वैधता 31 मार्च 2019 तक पर विचार करते हुए पश्चिमी घाटों के पारि-संवेदशनशील क्षेत्र की घोषणा करने के लिए अधिसूचना को अंतिम रूप देने हेतु पहले ही राज्यों के साथ नवीनतम विचार विमर्श शुरू किया जा चुका है और 15 फरवरी, 2019 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

*****